



भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
 उप-कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़)
Sub-Office, Shimla (Regional Office, Chandigarh)
 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
 सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, शिवालिक खण्ड, लॉगवुड
CGO Complex, Shivalik Khand, Longwood
 शिमला, हिमाचल प्रदेश-171001
Shimla, Himachal Pradesh – 171001



ईमेल/Email : iro.shimla-mefcc@gov.in, दूरभाष/Tel.0177-2658285, फैक्स/Fax: 0177-2657517

Dated: As mentioned in E-signature

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
 हिमाचल प्रदेश सरकार
 आर्म्सडेल बिल्डिंग, शिमला।

(E-mail: forestsecy-hp@nic.in)

विषय: **Diversion of 0.8146 ha of forest land in favour of HPPWD, for the construction of link road from Ghyan Raika via Kehral (Kms. 0/0 to 1/945), within the jurisdiction of Rohru Forest Division, Distt. Shimla, Himachal Pradesh.**

सन्दर्भ: **Online proposal no FP/HP/ROAD/27419/2017 reply received on 12.09.2025.**

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपर्युक्त विषय से संदर्भांकित पत्र की ओर दिलाने का निर्देश हुआ है, जिसमें वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 की धारा- 2 के अनुसार गैर वानिकी उद्देश्य के लिए **0.8146** हेक्टेयर वन भूमि की मांग की गई है।

2. वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के 2183 मामलों से संबंधित प्रस्तावों पर 23.09.2024 को आयोजित सलाहकार समिति की बैठक में चर्चा की गई और निम्नलिखित निर्णय लिए गए। अतः सम्बंधित जानकारी भेजने का कष्ट करे।

1. State Government has only submitted the abstract of the 2183 proposals. State Government has not yet uploaded the remaining proposals on the PARIVESH portal for regularization of encroachments under the V(SS)A,1980, as required within six months of the issuance of the Minutes of the AC Meeting.
2. Therefore, The SG shall upload the remaining proposals on the PARIVESH portal at the earliest, since the six months' time period has elapsed from the issuance of the Minutes of the FAC Meeting dated 23.09.24.

यह पत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत जारी की जा रही है ।

भवदीय,

ह 0/-

(राजा राम सिंह)

उप-वन महानिरीक्षक(केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. नोडल अधिकारी-सह-अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (एफ.सी.ए.), हिमाचल प्रदेश सरकार, वन विभाग, टार्लैंड, शिमला (E-mail: nodalcfahp@yahoo.com).
2. वन मण्डल अधिकारी, रोहरू वन मण्डल, जिला-शिमला, हिमाचल प्रदेश (E-mail: head-fordivchu-hp@hp.gov.in).
3. अधिशाषी अभियंता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, प्रभाग-जुब्बल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश (E-mail: ee-jub-hp@nic.in)